सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 11.08.2025 ...

11/8/25 आज पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी [illegible] की ओर से [illegible] वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया। वादी ने वकील द्वारा 8 ख-1 [illegible] का शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये। वकील वादी [illegible] नहीं चाहते हैं बहस सुनी गई। [illegible] डिक्री किया जाता है। निर्णय एवं डिक्री पृथक से [illegible] जारी। पत्रावली [illegible] बाद तकमील पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]
देवीसिंह

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी जिला-धौलपुर

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**
व इजलास **श्री भगवत शरण त्यागी (R.A.S.)**

1. विजय उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र स्व मानसिंह जाति जाटव निवासी सिरोली रोड सम्मुख नगर नई आबादी अजीजपुर तहसील व जिला आगरा उत्तर प्रदेश
2. रोहित उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र स्व मानसिंह जाति जाटव निवासी सिरोली रोड सम्मुख नगर नई आबादी अजीजपुर तहसील व जिला आगरा उत्तर प्रदेश

बनाम

1. सामंती उम्र करीब 80 वर्ष पत्नी स्व. दौजी
2. जगन लाल उम्र करीब 59 वर्ष पुत्र स्व. दौजी
3. देवी सिंह उम्र करीब 47 वर्ष पुत्र स्व. दौजी
4. रवि उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र स्व. दौजी

जातिगण जाटव निवासीगण बटेश्वर खुर्द हाल निवास नई कालोनी किरी बाड़ी तहसील बाड़ी

प्रतिवादीगण :–

5. मुन्नी उम्र करीब 49 वर्ष पुत्री स्व. दौजी पत्नी मोहन सिंह जाति जाटव निवासी सिरोली रोड सम्मुख नगर नई आबादी अजीजपुर तहसील व जिला आगरा उत्तर प्रदेश

दावा दावत

मुकदमा नं. **96/2025**
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय
व हाजरी **श्री दिलीप कुमार शर्मा एड0** मिनजानिव मुद्दई **श्री राकेश अजर एड0**
मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है

दावा वादीगण डिकी किया जाकर प्रश्नगत आराजी ख0नं0 234/367 रखवा 0.5059 हेक्टेयर बांके ग्राम बटेश्वर कलां तहसील बाड़ी जिला धौलपुर में वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा न करें।

नीज ..... मुबलिग..... बाबत .....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक ..... को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 08 साल 2025 को जारी की गई।

दस्तखत .....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़ी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री भगवत शरण त्यागी आर.ए.एस.

उनवान

विजय बनाम सामन्ती

1. विजय उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र स्व मानसिंह जाति जाटव निवासी सिरोली रोड सम्मुख नगर नई आबादी अजीजपुर तहसील व जिला आगरा उत्तर प्रदेश
2. रोहित उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र स्व मानसिंह जाति जाटव निवासी सिरोली रोड सम्मुख नगर नई आबादी अजीजपुर तहसील व जिला आगरा उत्तर प्रदेश

वादीगण :–

बनाम

1. सामंती उम्र करीब 80 वर्ष पत्नी स्व. दौजी
2. जगन लाल उम्र करीब 59 वर्ष पुत्र स्व. दौजी
3. देवी सिंह उम्र करीब 47 वर्ष पुत्र स्व. दौजी
4. रवि उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र स्व. दौजी

जातिगण जाटव निवासीगण बटेश्वर खुर्द हाल निवास नई कालोनी किरी बाड़ी तहसील बाड़ी

प्रतिवादीगण :–

5. मुन्नी उम्र करीब 49 वर्ष पुत्री स्व. दौजी पत्नी मोहन सिंह जाति जाटव निवासी सिरोली रोड सम्मुख नगर नई आबादी अजीजपुर तहसील व जिला आगरा उत्तर प्रदेश

तरतीवी प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादीगण के वकील – श्री दिलीप कुमार शर्मा एड0
प्रति0 के वकील – श्री राकेश कुमार अजर एड0

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0ए0

दावा सं. 96/2025

दिनांक :– 11-08-2025

निर्णय

वादीगण द्वारा उक्त उनवान का दावा पेश कर निवेदन किया है कि :–

आराजी खसरा नंबर 234/367 रखवा 0.5059 हेक्टेयर बांके ग्राम बटेश्वर कलां तहसील बाड़ी जिला धौलपुर में स्थित है, जिसमें वादीगण 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी हैं। मद संख्या 2 में शिजरा फरीकेन अंकित किया। उक्त आराजी पुश्तैनी है तथा वादीगण को विरासतन अपनी मां मृतक प्रेमवती पुत्री दौजी से प्राप्त हुई है तथा उक्त आरजी पर हमेशा से संयुक्त आधिपत्य चला आ रहा है। वादीगण 3 दिन पूर्व उक्त आराजी पर गए तो प्रतिवादी नाराज हुए तथा कहा कि उक्त आराजी में वादीगण का कोई हिस्सा नहीं है व धमकी दी हम राजस्व कर्मचारियों से मिलकर संपूर्ण आराजी को प्रतिवादीगण अपने नाम कराकर वादीगण को हिस्से से वंचित करेंगे। जब पटवारी हल्का से संपर्क किया तो उक्त आराजी वादीगण के नाना मृतक दौजी पुत्र खरगजीत राजस्व रिकार्ड में नाम से इंद्राज होने बाबत बताया गया। इस प्रकार से वादीगण उक्त आराजी में 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं और इसी प्रकार से अपनी माँ की मृत्यु के बाद सम्मिलित मौके पर काबिज हैं। प्रतिवादीगण ने राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी जिला धौलपुर

कर्मचारियों से मिलकर उक्त आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का इंद्राज करवा लिया तथा वादीगण को वंचित कर दिया तो वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। उक्त धमकी से वादीगण को अब यह आवश्यक हो गया है कि वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का 1/6 हिस्से का नामांतरण कराए व अपने हिस्से में आने वाली आराजी से प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल न करने बाबत पाबंद करावे।

इस प्रकार दावा पेश कर वादीगण ने निवेदन किया कि :–

वाद पत्र की मद संख्या 01 मे वर्णित आराजी खसरा नंबर 234/367 रखवा 0.5059 हेक्टेयर बाँके ग्राम बटेश्वर कलां तहसील बाड़ी में वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के हिस्से में आई आराजी से बेदखल कर कब्जा न करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर इकबाल दावा प्रस्तुत कर वादीगण का दावा मुताबिक प्रार्थना डिकी किये जाने में सहमति व्यक्त की।

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में Ex P1 नकल जमाबन्दी सं0 2076–79, Ex P2 नकल मृत्यु प्रमाण पत्र प्रेमवती पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में Pw 1 विजय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कराये।

बहस वकील उभयपक्ष समाअत की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत Ex 1 नकल जमाबन्दी सं0 2076–79 के अवलोकन से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में आज भी वादीगण के नाना दौजी पुत्र खरगजीत के नाम अंकित है। दौजी की मृत्यु क उपरान्त अभी तक उसके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं किये गये है। प्रति0 द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावा से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण दौजी की पुत्री प्रेमवती के विधिक वारिसान है। इसके अलावा प्रति0 द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावा से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण को प्रश्नगत आराजी में 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित करने में प्रति0 को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रश्नगत आराजी में मृतक प्रेमवती के 1/6 हिस्से के स्थान पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरी राय में वादीगण का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण डिकी किया जाकर प्रश्नगत आराजी ख0नं0 234/367 रखवा 0.5059 हेक्टेयर बांके ग्राम बटेश्वर कलां तहसील बाड़ी जिला धौलपुर में वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा न करें। निर्णय मुताबिक डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी जिला धौलपुर